inikaii DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA INSURANCE REGULATORY AND भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण FORM E (See regulation 9) फार्म ई (विनियम 9 देखे) SCHEDULE I अनुसूची-1

पजीकरण प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration Number .....

बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) की ध्या 42डी की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा में अभिवीमा ३३४ २ व होटेर 470 कि को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत बीमा वेब-संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

to act as INSURANCE WEB AGGREGATOR under **b**at Act In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants at CERTIFICATE OF REGISTRATION to MIS Digiberna Insurance Meb Agree gator put the

उक्त बीमा वेब-संग्राहक के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र कूट <u>।१०२१//</u>//// CERTIFICATE OF REGISTRATION Code for the Insurance Web Aggregator is \_\_\_\_ # 09.08· 2026 IRDAI /INT/WBA/76/2023

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र 10· 68· 2023 This CERTIFICATE OF REGISTRATION is valid from 10.08. 2023 to 09.08.2026.

2. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब-संग्राहक) विनियम, 2017 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अधवा विनियमों

के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है। Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations. This CERTIFICATE OF REGISTRATION is subject to the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority 2017 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

By Order आदेशानुसार

Place: Hyderators 10.08.2023

For and on behalf of Insurance Regulatory, and Development Authority of India भारतीय बीमा विनियामक 'और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से